भारत में समावेशी शिक्षा
संकल्पना से वास्तविकता तक

डॉ. उमा तुली

बच्चे किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान सम्पत्ति होते हैं। यह सुनिश्चित करना हमारी ज़िम्मेदारी है कि हर बच्चा एक ख़ुशहाल और उपयोगी जीवन जीने में सक्षम हो। इसके लिए उनकी क्षमता को अधिकतम रूप से विकसित करना आवश्यक है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उनके समग्र विकास में मदद करने के लिए बच्चों को सशक्त बनाने और संवारने के लिए शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण पूर्वापेक्षित कारक है।

पिछले कुछ वर्षों में, विश्व स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों को शुरू किया गया है ताकि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले। इसमें अतिरिक्त आवश्यकताओं वाले बच्चे भी शामिल हैं, विशेष रूप से उन वर्गों के बच्चे जो समाज के कमज़ोर और हाशिए पर मौजूद वर्ग से आते हैं।

विकलांगता से जुड़े पूर्वाग्रहों को दूर करने और समाज में गरिमा, सम्भावनाओं और योग्यताओं के साथ उन्हें सही जगह दिलाने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश विकलांग व्यक्ति अभी भी बहिष्करण और भेदभाव का सामना करते हैं। उन्हें या तो एक अलग वातावरण में शिक्षा दी जाती है या उनकी सम्भावनाओं का पूरी तरह उपयोग किए बिना उन्हें असन्तोषजनक और अप्रभावी रूप से एकीकृत किया जाता है।

ज़मीनी हक़ीक़त

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 120 करोड़ से अधिक लोगों में से 2.21 प्रतिशत, यानी 2.68 करोड़ से अधिक लोगों में कोई न कोई विकलांगता है। इनमें 5-19 आयु वर्ग वाले 66 लाख बच्चे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक द्वारा 2011 में संयुक्त रूप से प्रस्तुत विकलांगता की विश्व रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक जनसंख्या के लगभग पन्द्रह प्रतिशत लोग विकलांग है।

हालाँकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, फिर भी भारत में 5-19 वर्ष के विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अट्ठाईस प्रतिशत विकलांग लड़कियों ने कभी किसी शैक्षिक संस्थान में पढ़ाई नहीं की है। लड़कों में यह प्रतिशत छब्बीस है जो लड़कियों की तुलना में केवल मामूली रूप से बेहतर है। केवल सोलह प्रतिशत विकलांग पुरुषों और नौ प्रतिशत विकलांग महिलाओं ने मैट्रिक/माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा पाई है। कोई आश्चर्य नहीं कि केवल नौ प्रतिशत विकलांग पुरुषों और तीन प्रतिशत विकलांग महिलाओं ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।

भारत में नीति और विधायी ढाँचा

भारत में, पिछले कुछ वर्षों में, सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक अधिकार बनाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विभिन्न कार्यक्रम और पहलें शुरू की गई हैं। मुख्य विधायी प्रावधान नीचे दिए गए हैं :

- संवैधानिक प्रावधान : अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 ए (के)
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987, 2017 में संशोधित
- पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) एक्ट, 1995, इसे 2016 में संशोधित किया गया (द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट)
- भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992, 2000 में संशोधित
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 2018 में संशोधित
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999

आवश्यक बुनियादी ढाँचे और अनुकूलित शिक्षण-शिक्षण सामग्री की कमी तथा कई अन्य वजहों से शिक्षा के अधिकार

अधिनियम (आरटीई) के वांछित उद्देश्य पूर्ण रूप से हासिल नहीं हो पाए हैं।

राष्ट्रीय नीतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन 1992), जो एनपीई से उभरी, शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों को समान साझेदार के रूप में एकीकृत करने की मंज़ूरी को दोहराती है ताकि उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार किया जा सके। एनपीई ने एकीकृत शिक्षा कार्यक्रमों के विस्तार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। हाल ही में शुरू की गई नीतियों में शामिल हैं :

- द नेशनल एक्शन प्लान फॉर इन्क्लूज़न ऑफ़ चिल्ड्रन एण्ड यूथ विद डिसेबिलिटीज़,2005
- नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, 2006
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा, 2019

समावेशी शिक्षा

पहले विकलांग बच्चों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखा जाता था जो अब बदल रहा है। अब उन्हें समर्थन और अवसर प्रदान करने और उनके अधिकारों की बात हो रही है। इस परिवर्तित दृष्टिकोण ने समावेशी शिक्षा की अवधारणा को जन्म दिया। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें विकलांग और ग़ैर-विकलांग विद्यार्थी एक साथ पढ़ाई करते हैं। इसमें शिक्षण व अधिगम की प्रणाली को विभिन्न प्रकार के विकलांग विद्यार्थियों के अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। इस प्रक्रिया में स्कूलों और अधिगम-केन्द्रों में बदलाव करना होता है और लड़के-लड़कियाँ, सक्षम और विकलांग, हाशिए पर रहने वाले और कम विशेषाधिकार प्राप्त आदि सभी बच्चों की ज़रूरतों को समान रूप से पूरा करना होता है।

शिक्षा के प्रकार

बाल-केन्द्रित, आवश्यकता आधारित शिक्षा और जीवनपर्यन्त अधिगम की अवधारणा ने अतिरिक्त आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के विभिन्न विकल्पों को जन्म दिया है। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे 2019 में एक समग्रात्मक दृष्टिकोण के साथ समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन पर पर्याप्त ज़ोर नहीं दिया गया है।

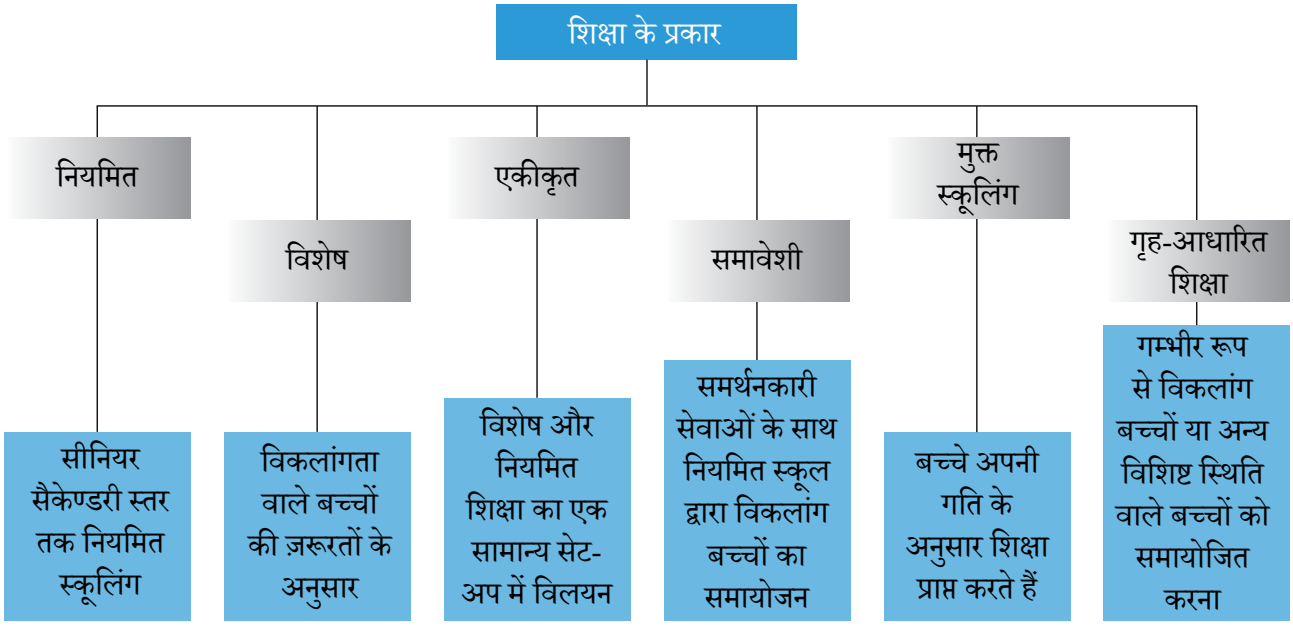

पहले चार विकल्प औपचारिक हैं और उनके भली-भाँति सीमांकित स्थान और उपयुक्त बुनियादी ढाँचे और संसाधन हैं, जहाँ शिक्षा आमने-सामने बैठकर प्राप्त की जाती है और जो आवंटित समय में पूरा होने वाले एक अच्छी तरह से परिभाषित पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। योगात्मक आकलन के परिणाम उन्नति के संकेतक के रूप में काम करते हैं। एकीकृत व्यवस्था में यह बच्चे का दायित्व है कि वह ख़ुद को मौजूदा प्रणाली में नियोजित करे। बच्चे को आमतौर

पर सामाजिक, सांस्कृतिक या खेल सम्बन्धी गतिविधियों में केवल कुछ हद तक एकीकृत किया जाता है। जहाँ तक अकादमिक विषयों की बात है तो उसे केवल उन विषयों के लिए एकीकृत किया जाता है जो नियमित पाठ्यक्रम में हैं। जिन बच्चों में कम विकलांगता है और जो विशेष शिक्षा या उपचारात्मक शिक्षा जैसे चिकित्सीय हस्तक्षेप या अन्य प्रकार के समर्थनों की मदद से नियमित व्यवस्था में समायोजित करने में सक्षम हैं, उन्हें एकीकृत किया जाता है। यह एकीकरण या तो केवल सामाजिक गतिविधियों में या आंशिक रूप से अकादमिक विषयों में होता है जो विकलांगता की गम्भीरता और दुर्बलता के प्रकार पर निर्भर करता है।

मुक्त स्कूलिंग में आवश्यकता पर आधारित शिक्षा, सभी स्तरों पर विभिन्न विषयों के विकल्प, अपनी गति के अनुसार अधिगम और अपने ग्रेड के आकलन के लिए कई विकल्प दिए जाते हैं। द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, 2016 में मान्यता प्राप्त गृह-आधारित शिक्षा (होम-बेस्ड एजुकेशन, एचबीई) का उद्देश्य गम्भीर रूप से बौद्धिक/शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों को स्वतंत्र जीवन कौशल प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना और स्कूल की तैयारी और जीवन की तैयारी में मदद करना है। एचबीई के माध्यम से शिक्षा पाने वाले अधिकांश बच्चों में बहुविकलांगता, गम्भीर संज्ञानात्मक चुनौतियाँ, प्रमस्तिष्क पक्षाघात और स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार होते हैं।

समावेशी शिक्षा के घटक

वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए आवश्यक घटक इस प्रकार हैं :

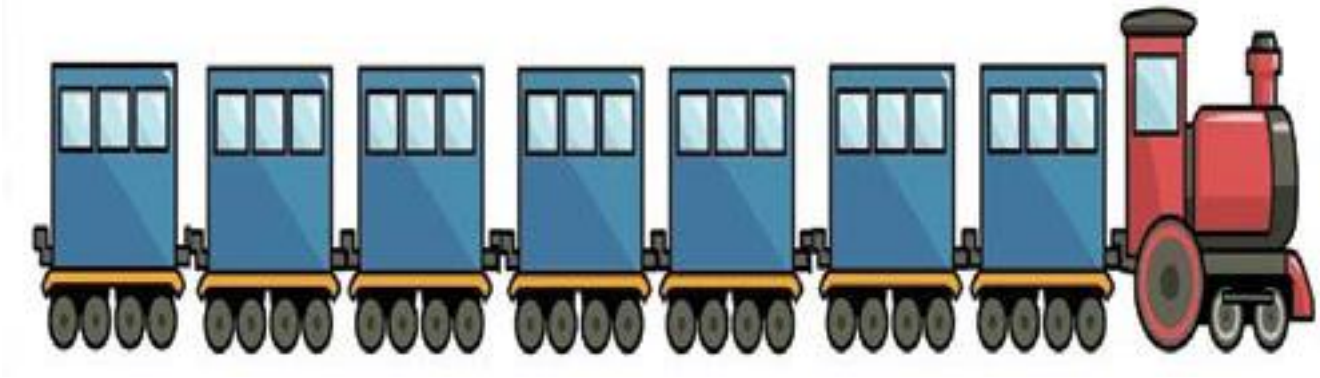

शिक्षकों का प्रशिक्षण | शिक्षण-सामग्री | अवरोध मुक्त वातावरण | समान अवसर | पूर्ण भागीदारी | समर्थनकारी सेवाएँ | माता-पिता की सहभागिता

यह एक सफ़र है, मंज़िल नहीं...

माता-पिता और समुदायों को शामिल करना बहुत महत्त्वपूर्ण है और परिवर्तन लाने के लिए उन्हें सक्रिय और प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। माता-पिता/समुदाय के सदस्यों द्वारा बच्चे का स्वीकरण बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। साथ ही यह उसके प्रति परिवार/समुदाय के अन्य सदस्यों के दृष्टिकोण और व्यवहार को निर्धारित करता है। व्यक्तिगत शिक्षा के लिए लघु और दीर्घकालिक लक्ष्य तय करने में वे एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

समान अवसर और पूर्ण भागीदारी

समावेशी शिक्षा समान अवसरों और अतिरिक्त आवश्यकताओं वाले बच्चों की पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने की धारणा पर आधारित है। यह स्कूल प्रबन्धन की ज़िम्मेदारी है कि वह प्रतिबद्ध हो और स्कूल की संस्कृति, नीति और अभ्यासों का पुनर्गठन करे ताकि विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को विविध शैक्षिक और ग़ैर-शैक्षिक गतिविधियों में सुविधा हो।

अवरोध मुक्त वातावरण

कक्षाओं और भवन में सभी स्थानों तक सुगम पहुँच समावेशन की दिशा में पहला क़दम है, इसके बाद आता है एक ग़ैर-प्रतिबन्धात्मक शिक्षण-अधिगम वातावरण।

समर्थनकारी सेवाएँ

बच्चों की सभी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थनकारी सेवाएँ समग्र रूप से प्रदान की जानी चाहिए और जहाँ तक सम्भव हो स्कूल में ही मुहैया कराई जानी चाहिए। इन सेवाओं में प्रोफेशनल थेरेपी, फिज़ियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, प्रारम्भिक हस्तक्षेप, मनोवैज्ञानिक आकलन और परामर्श शामिल हैं। विशेष शिक्षकों को बच्चे की प्रगति की निगरानी

के लिए एक टीम के रूप में काम करना चाहिए और मुख्यधारा के शिक्षकों के साथ सहयोग करना चाहिए।

शिक्षक-प्रशिक्षण

यह बात बहुत ज़रूरी है कि कक्षा को पढ़ाने और उसका प्रबन्धन करने वाले शिक्षकों को समावेशी शिक्षा की अवधारणा और दर्शन के बारे में संवेदनशील बनाया जाए, उसकी ओर उन्मुख किया जाए और बुनियादी ढाँचे, पाठ्यक्रम में लचीलेपन और शिक्षण पद्धति के सन्दर्भ में किए जाने वाले समायोजन के प्रति अवगत कराया जाए। सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षकों के लिए निरन्तर पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम और अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित करने से उन्हें इस बारे में अन्तर्दृष्टि मिलेगी और वे विविधता और विभिन्न विकलांगता वाले बच्चों का ध्यान रखने के लिए तैयार हो सकेंगे। स्कूलों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को ऐसे जीवन ज्ञान और कौशल प्रदान करें जो उनके जीवन को बेहतर बना सकते हों। कौशलों का विकास करने से भी वे आर्थिक रूप से अधिक स्वतन्त्र होने में सक्षम होते हैं।

सुगम्य बस

स्पर्श पथ

चुनौतियाँ

वैश्विक अध्ययनों ने समावेशी शिक्षा को लागू करने में प्रमुख चुनौतियों का ख़ुलासा किया है। निम्नांकित चित्र में इसे दर्शाया गया है।

समावेशन क्यों आवश्यक है

शोध से समावेशन के कई लाभों का संकेत मिलता है।

- विद्यार्थी एक-दूसरे की अनूठी शक्तियों और क्षमताओं की सराहना करना सीखते हैं।
- विद्यार्थी एक-दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
- अतिरिक्त आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी स्वाभाविक तरीक़े से और एक स्वाभाविक वातावरण में दोस्ती को बढ़ावा देने में सक्षम होते हैं।

- ग़ैर-विकलांग विद्यार्थियों को विकलांग लोगों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का मौक़ा मिलता है।
- एक ही समुदाय से सम्बन्धित होने की भावना के विकास कारण विकलांग विद्यार्थियों में आत्मसम्मान और उपलब्धि की भावना का निर्माण करने में मदद मिलती है।
- ऐसा देखा गया है कि अकसर विद्यार्थी वांछनीय सामाजिक व्यवहारों को एक-दूसरे से सबसे अच्छी तरह सीखते हैं।
- बच्चे अपनी विकास क्षमता तक पहुँचते हैं और सभी प्रकार के वातावरण में समायोजन करना सीखते हैं।

अमर ज्योति में विशेष आवश्यकताओं वाली शिक्षा को बढ़ावा देना

पुनर्वास के अपने समग्र दृष्टिकोण को साथ लेकर चलने वाला अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट (एजेसीटी), दिल्ली, 1981 में एकीकृत और समावेशी शिक्षा शुरू करने वाले भारत के पहले संस्थानों में से एक था। यह स्कूल बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ एक पेड़ के नीचे शुरू हुआ। उस समय तीस बच्चों की एक कक्षा थी, जिनमें से पन्द्रह बच्चे अतिरिक्त आवश्यकताओं वाले थे।

आज यह स्कूल एनसीईआरटी के संशोधित पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है और इसे शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में इसमें 510 विद्यार्थी हैं जिनमें विकलांग और ग़ैर-विकलांग विद्यार्थियों की संख्या लगभग बराबर है। हाल ही में बधिर व दृष्टिहीन बच्चों के लिए एक नया विभाग शुरू किया गया है जिसमें सोलह विद्यार्थी नामांकित किए गए हैं जो गृह आधारित और केन्द्र आधारित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। नर्सरी कक्षा से ही शैक्षिक समावेशन करने से विद्यार्थियों में सामाजिक समावेशन की भावना का पोषण करने में मदद मिलती है। ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में ट्रस्ट की एक शाखा है, जो 1989 से इसी तरह की सेवाएँ प्रदान कर रही है।

विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्य-सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि एकीकृत खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कम्प्यूटर अनुप्रयोगों, सौन्दर्य, संस्कृति, कला व शिल्प, स्क्रीन प्रिंटिंग, आभूषण-निर्माण और सिलाई में पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण देना पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है। कक्षा 3 से सभी विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी रुचि के अनुसार एक वृत्ति चुनें। कौशल सम्बन्धी इन पाठ्यक्रमों में से कुछ को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान और राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त है।

खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में समावेशन

बच्चे पढ़ना और लिखना सीखने से पहले खेलते हैं। बास्केटबॉल, टेबल टेनिस जैसे खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है जो बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास में मदद करते हैं। बच्चे क्षमता विकसित करना सीखते हैं और अलग-अलग तरह के वातावरण में समायोजन करते हैं। अमर ज्योति के विद्यार्थी कई राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं।

अतिरिक्त शैक्षिक सहायता सेवाएँ

विद्यार्थियों को अँग्रेज़ी प्रयोगशाला में सम्प्रेषण, वाद-विवाद और वक्तृत्व कला का प्रशिक्षण दिया जाता है और विज्ञान की प्रयोगशाला उन्हें व्यावहारिक वैचारिक अधिगम में सक्षम बनाती है। इसी तरह कम्प्यूटर की प्रयोगशाला और स्मार्ट क्लास अधिगम का संवर्धन करते हैं। अमर ज्योति कक्षा 3, 5, 8, 10 और 12 के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त एक केन्द्र है। यह वंचितों की शिक्षा के लिए भी एक

मान्यता प्राप्त संस्थान है ताकि अतिरिक्त आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।

चिकित्सीय हस्तक्षेप

चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, आर्थोपेडिक्स, ईएनटी और बाल रोग जैसे क्षेत्रों के चिकित्सक और विशेषज्ञ निःशुल्क परामर्श और नैदानिक सेवाएँ प्रदान करते हैं। विलम्बित विकास वाले बच्चों के विकास में प्रोफेशनल थेरेपी, फिज़ियोथेरेपी, वाक् व श्रवण विज्ञान यूनिट और प्रारम्भिक हस्तक्षेप यूनिट जैसी विभिन्न हस्तक्षेप यूनिट महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उपचारात्मक सेवाओं के अलावा गतिशीलता सहायक उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं। डॉक्टर स्वेच्छा से निःशुल्क सुधारात्मक सर्जरी भी करते हैं।

मनोवैज्ञानिक, व्यवहार सम्बन्धी या किसी भी शैक्षिक मुद्दे से सम्बन्धित कठिनाइयों का सामना करने वाले बच्चों का आकलन चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में किया जाता है और उन्हें उचित हस्तक्षेप के लिए भेजा जाता है। यह यूनिट अतिरिक्त आवश्यकताओं वाले बच्चों के माता-पिता की मदद भी करती है और उन्हें शिक्षा का ऐसा तरीक़ा सुझाती है जिससे उनके बच्चे लाभान्वित हो सकें और साथ ही यह यूनिट अभिभावक सहायता कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है जहाँ अतिरिक्त आवश्यकताओं वाले बच्चों के पालन-पोषण के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

क्षमता विकास कार्यक्रम

समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों में से एक है प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी। इस माँग को पूरा करने के लिए, अमर ज्योति ट्रस्ट विभिन्न मानव संसाधन विकास कार्यक्रम चलाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध फिज़ियोथेरेपी में परास्नातक और स्नातक कार्यक्रम, कुशल फिज़ियोथेरेपिस्ट विकसित करने में मदद करते हैं। विशेष शिक्षा में भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा कार्यक्रम (मानसिक मन्दता, श्रवण और दृश्य दोष में विशेषज्ञता के साथ) चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यधारा के स्कूल शिक्षकों के लिए, आवश्यकतानुसार, विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम डिज़ाइन और संचालित किए जाते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

समावेशन के सपने को साकार करने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों के बीच तालमेल होना ज़रूरी है, जिसमें ज़िम्मेदारियों को समान रूप से साझा किया जाए। समावेशन के प्रभावी सार्वभौमिकरण के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता का प्रयोग करने में समन्वय का मंत्र बहुत उपयोगी है, जिसके लिए नवम्बर 2018 में नई दिल्ली में आयोजित समावेशी शिक्षा पर हुए पाँचवें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने निम्नलिखित सिफ़ारिशें कीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा (आईई) को प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए :

- शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए समर्पित संसाधन निर्धारित करना चाहिए और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए वाले समुदायों के बीच।
- मॉडल समावेशी स्कूलों की स्थापना करना चाहिए।
- समावेशी शिक्षा की सार्वभौमिकता सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा तय करते हुए एक कार्यान्वयन योजना को शामिल करना चाहिए।
- ऐसी रणनीतियाँ शामिल करना चाहिए जो कार्यान्वयनकर्ताओं और समुदाय के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए बहुक्षेत्रीय और अन्तर्क्षेत्रीय सम्बन्ध सुनिश्चित करें।

शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम (मास्टर प्रशिक्षकों के लिए भी) को:

- प्रशिक्षण की आवश्यकता के आकलन में शिक्षकों को शामिल करना चाहिए।
- मज़बूत करना चाहिए ताकि समावेशी शिक्षा के लिए व्यावहारिक कौशल, सामाजिक/भावनात्मक अधिगम को शामिल कर सकें।

शिक्षा प्रणाली को चाहिए कि वह :

- विद्यार्थियों, अभिभावकों, स्कूल प्रशासकों, शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को शिक्षा प्रणाली में समावेशन की अनिवार्यता के बारे में संवेदनशील बनाए।
- आवश्यकतानुसार समर्थन प्रणाली के पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करे।
- विकलांगजनों के लिए गतिशीलता और स्वतंत्र रूप से कामकाज कर पाने के लिए सेवाएँ प्रदान करे।

शैक्षणिक सुधार ऐसे हों जो :

- शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में लचीलापन प्रदान करें।

- सभी शिक्षार्थियों की भागीदारी के लिए सह-शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर शामिल करें।
- मौजूदा विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी शाखाओं के अलावा एक 'रचनात्मक शाखा' जैसे विकल्पों पर विचार करें जो कि विकलांग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करें।
- पाठ्यक्रम में प्रावधान/ कौशल सुदृढ़ीकरण/व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल करें। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों में कौशल/ व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराएँ।
- यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें कि अधिगम का सार्वभौमिक डिज़ाइन एक आदर्श बन जाए।

डेटा और शोध प्रणाली को :

- स्थापित/मज़बूत किया जाना चाहिए ताकि वह नीति और कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तराल को सम्बोधित करने के लिए शोध को लागू कर सके।
- एक डेटाबेस स्थापित करना चाहिए जो साक्ष्य आधारित नीति निर्माण/संशोधन को सूचित करने के लिए इनपुट प्रदान करे।
- सभी शिक्षार्थियों के ड्रॉपआउट, परिवर्तनकाल और अकादमिक उपलब्धियों पर नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

सहयोग को मज़बूत करने के लिए :

- शैक्षिक संस्थानों, समुदायों, परिवारों और स्थानीय सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि समावेशी शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।
- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अकादमियों जैसे पेशेवर निकायों का निर्माण करना चाहिए जिससे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र को शामिल करना चाहिए ताकि वह समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन प्रदान कर सके।
- उपयुक्त तंत्र और संरचनाएँ स्थापित करनी चाहिए जिससे कि नीति निर्माण और समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

यह हम सभी की ज़िम्मेदारी है कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाया जाए, चाहे वे विकलांग हों या ग़ैर-विकलांग। हाल के वर्षों में दान से सशक्तीकरण और चिकित्सा मॉडल से मनोवैज्ञानिक मॉडल की ओर जाने का महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है। समावेशी शिक्षा की यात्रा ने कई चुनौतियों को पार किया है और इस दौरान कई महत्त्वपूर्ण बदलाव भी हुए हैं जैसे पहले उपेक्षा, हाशियाकरण और भेदभाव वाली स्थिति थी और अब हम एक समावेशी, अवरोध मुक्त और अधिकार आधारित समाज की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, का मसौदा, जिस पर वर्तमान में विचार-विमर्श चल रहा है, समग्र दृष्टिकोण अपनाने का एक अवसर है। यह दृष्टिकोण संसाधनों के समन्वय और नेटवर्किंग पर बल देकर विकलांग और ग़ैर-विकलांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर ज़ोर देता है ताकि वे अपने ग़ैर-विकलांग साथियों के साथ एक ही मंच पर खड़े हों और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें।

डॉ. उमा तुली अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट (दिल्ली और ग्वालियर), की संस्थापिका और प्रबन्ध सचिव हैं। वे एक शिक्षाविद्, पुनर्वास पेशेवर और एक खिलाड़ी हैं। वे ऐसी पहली ग़ैर-नौकरशाह थीं जिन्हें भारत सरकार द्वारा विकलांगजनों के मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉ. तुली विकलांगजनों को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों में सबसे आगे रही हैं ताकि वे समानता और गरिमा का जीवन जी सकें। उन्हें रोहम्पटन विश्वविद्यालय, लन्दन से डॉक्टर ऑफ लॉज़, ऑनोरिस कॉसा; पद्मश्री और कई अन्य पुरस्कारों तथा सम्मानों से सम्मानित किया गया है। उनसे umatuli3@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुवाद : नलिनी रावल